संख्या-85/2021/1867/26-3-2021-4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 12 जुलाई 2021

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-347/स0क0/शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-09.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2021-22 के लिए विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में	
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	20 जुलाई 2021 से 12 अगस्त 2021 तक
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटो की संख्या की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	13 अगस्त 2021 से 08 सितम्बर 2021 तक
	कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में	
3	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना। **(आनलाइन आवेदन छात्र-छात्राओं हेतु 20 जुलाई से 12 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा।)**	23 जुलाई से 23 अगस्त 2021 तक
4	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर, विलम्बतम 27 अगस्त 2021 तक।
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। **(नोटः-26 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 01 अक्टूबर 2021 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)**	26 जुलाई से तक 31 अगस्त 2021 तक
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं	01 सितम्बर से 01 नवम्बर 2021 तक

उपनिदेशक/सहा० निदे०
तत्काल कार्यवाही
12/07/21
(पी० के० त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक

	जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	07 सितम्बर 2021 तक
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	01 सितम्बर से 10 सितम्बर 2021 तक
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।	11 सितम्बर से 25 सितम्बर 2021 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) डाटा के सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	28 सितम्बर 2021 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 सितम्बर 2021 तक
	कक्षा 9-10 के अवशेष नवीन (Fresh**) तथा नवीनीकरण (**Renewal**) के छात्र-छात्राओं हेतु।**	
13	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना।	23 जुलाई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक
14	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
15	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 18 अक्टूबर 2021 तक
16	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	26 जुलाई 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक
17	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	08 नवम्बर 2021 तक
18	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर से 08 नवम्बर 2021 तक
19	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	09 नवम्बर से 19 नवम्बर 2021 तक
20	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 22 नवम्बर तक
21	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 नवम्बर से 25 नवम्बर 2021 तक
22	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	26 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक
23	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के	07 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2021

	सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लाक किया जाना।	तक
24	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	22 दिसम्बर 2021 तक
25	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	27 दिसम्बर 2021 तक

नोटः- उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिवस का समारोह प्रत्येक जनपद में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत यथासमय अवगत करा दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-85/2021/ 1867 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– C-381 /स0क0/शिक्षा–अ/7/52/2021–22

लखनऊ, दिनांकः 13 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–सारिणी के शासनादेश संख्या–85/2021/1867/26–3–2021–4(215)/90 टी0सी0 III दिनांक 12.07.2021 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

7– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

8– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

13/7/2021

(राकेश कुमार)
निदेशक